चीनी मिलों में दुरुस्त हुए प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र

बीएस संवाददाता
देहरादून, 21 जनवरी

उत्तराखंड के चीनी उद्योग के लिए अच्छी और बुरी दोनों खबरें हैं। अच्छी खबर यह है कि राज्य सरकार ने बंदी से बचाने के लिए सभी चीनी मिलों के प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों का उन्नयन कर लिया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने हाल ही में आदेश दिया था कि इन चीनी मिलों को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इनसे गंगा प्रदूषित हो रही है।

आदेश के बाद

चीनी सचिव विनोद शर्मा ने कहा, 'हमने फ्लाई अरेस्टर्स लगाकर प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उन्नयन किया है और सरकार के नियंत्रण में आने वाली अपनी सभी 5 चीनी मिलों में कचरा शोधन संयंत्रों (ईटीपी) का आधुनिकीकरण कर रहे हैं।'

इस सिलसिले में एनजीटी के पास अनुपालन रिपोर्ट पहले ही सौंपी जा चुकी है, जिस पर अंतिम फैसला 27 जनवरी को होना है। उन्नयन की प्रक्रिया रिकॉर्ड 8-9 महीने में पूरी कर ली गई।

वहीं सरकार ने पर्याप्त गन्ना न मिलने की वजह से गदरपुर चीनी मिल बंद करने का फैसला किया है। सरकार ने चीनी मिल के 188 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने के लिए 24 करोड़ रुपये देने को मंजूरी भी दे दी है। इस सिलसिले में आखिरी फैसला राज्य कैबिनेट करेगी।